तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	प्रहलाद बनाम रज्जू वगैरह दर० अस्थाई निषेधाज्ञा 43/17	
24/5/17	वकील फटीके छप० । प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा काउन्टर टी.आई. अप्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर नम्बर से कम वतौर तथा दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
43/17	अस्थायी निषेधाज्ञा	27.10.17	22.05.19

प्रहलाद पुत्र बद्री आयु 55 साल जाति मीना निवासी घूरसई तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। –प्रार्थी

बनाम

1. रज्जू पुत्र रामसिह आयु 32 साल जाति मीना निवासी करीलपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तहत दफा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री कमरपाल मीना वकील प्रार्थी।
श्री शेरसिह वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम करणपुर तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 843 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिसका प्रार्थी तन्हा मालिक है। अन्य किसी का कोई ताल्लुक व वास्ता उक्त आराजी से नही है। प्रार्थी शांति पूर्ण तरीके से वहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी कमजोर व वृद्व है व गरीब है। प्रार्थी अपनी आराजी खसरा नं0 843 पर दिनांक 05.10.17 को फसल बुवाने के लिए साफ कराने व जोत लगवाने के लिए गया तो अप्रार्थी ने उक्त आराजी पर आया और कहने लगा कि यह आराजी मैने सीताराम से खरीद ली है इसलिए इसको मै जे0सी0बी0 लगाकर समतल करवा रहा हूँ। और समतल करवाने के बाद मै ही इसे जोतूगा बोउंगा। प्रार्थी ने कहा कि यह मेरी खातेदारी की आराजी है इस आराजी से सीताराम का कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी से मना करने पर नही मानने व मारने की धमकी देने व झगड़ा करने पर आमादा फिसाद हो गया। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब मय काउन्टर टी आई पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है मुझ अप्रार्थी को नाजायत परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी की मॉ धापा देवी पत्नि रामसिह की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 840/1 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा करणपुर तहसील सपोटरा मे स्थित है जिससे प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है तथा मुझ अप्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर ही कब्जा काश्त है। उक्त आराजी की मुझ अप्रार्थी ने तरमीम करवा रखी है तथा प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 843 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा है इसमे मुझ अप्रार्थी का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी मेरी लागत लगाकर समतल कराई गई खातेदारी की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है प्रार्थी अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रार्थी ने काउन्टर टी. आई. का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की सेपरेट

Scanned by CamScanner

खातेदारी की आराजी खसरा नं0 843 रकबा 03 बीघा 16 विस्वा है जिसमे अप्रार्थी का कोइ लेना देना नही है जिससे प्रार्थी को शांति पूर्वक फसल काश्त का लाभ लेने देवे। इसलिए अप्रार्थी की काउन्टर टी आई खारिज फरमायी जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2071–74 ग्राम करणपुर के मुताबिक प्रार्थी विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है, जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थी की माँ के खातेदरी की आराजी खसरा नं0 840/1 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम करणपुर मे स्थित है, जिससे प्रार्थी का कोई लेना देना नही है यह कथन किया है। प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध नकल नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति आराजी खसरा नं0 843 एवं आराजी खसरा नं0 840/1 दूर दूर स्थित है जिनके बीच मे एक अन्य खसरा नम्बर भी दर्ज है अर्थात प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख्सरा नं0 843 के आस पास अप्रार्थी की कोई खातेदारी दर्ज नही हैं अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीयान को जरिये अस्थाायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य एवं काउन्टर टी आई खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा काउन्टर टी आई अप्रार्थी खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ग्राम करणपुर तहसील सपोटरा खसरा नं0 843 रकबा 03 बीघा 16 विस्वा के मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner